उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 285/xxvii(7)/2007
देहरादून, दिनांक: 15 जनवरी,2007

कार्यालय ज्ञाप

विषय: महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य तथा मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु जाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य अतिरिक्त दैनिक भत्ता की दरों में वृद्धि ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासकीय कार्यलय–ज्ञाप संख्या–सा–4–1359/दस–85–602/81, दिनांक 30 अगस्त,1986 में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे समस्त सरकारी सेवकों को, जो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य हेतु इलाहाबाद दौरे पर जायं उन्हें इलाहाबाद में तथा जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ के कार्यालय में मुकदमों की पैरवी आदि के संदर्भ में शासकीय कार्यवश जायं, को भी इलाहाबाद/ लखनऊ में नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ते के अलावा प्रतिदिन रूपये 10/– की धनराशि अतिरिक्त दैनिक भत्ते के रूप में अनुमन्य होगी और यह अतिरिक्त दैनिक भत्ता सरकारी सेवकों को उन्हीं दिनों के लिए ग्राह्य होगा जिन दिनों के लिए उन्हें सामान्य नियमों के अंतर्गत दैनिक भत्ता अनुमन्य है ।

3.इस संबंध में वर्तमान दरों में पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अब उत्तरांखण्ड के नये राज्य के गठन के बाद उत्तरांखण्ड राज्य में महालेखाकार, उत्तराखण्ड,देहरादून के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य एवं मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु जाने वाले सरकारी सेवकों को अब प्रतिदिन रू0 30/– की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ता पूर्व शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

4.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून और मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के कार्यालयों में जाने वाले सरकारी सेवकों को उन मामलों में अतिरिक्त दैनिक भत्ते की सुविधा ग्राह्य न होगी जिनमें साधारणतया किसी पत्र को सुपुर्द करने या उन कार्यालयों से कोई पत्र/पत्रोत्तर प्राप्त करने का कार्य निहित हो।

5. यह आदेश उन यात्राओं पर लागू होगें जो इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ हुई हों ।

(राधा रतूडी)
सचिव,वित्त ।